न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 80/2014
(जीसीएमएस संख्या 2014/00155)

निर्णय दिनांकः— 6-10-25

1. मोटाराम
2. पीराराम
3. चेतनराम
4. मालाराम
5. रेवन्तराम

पुत्रगण पताराम जाति नायक, निवासी ग्राम सारूण्डा तहसील नोखा, जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. भैराराम पुत्र नवलाराम
2. बोगाराम
3. शैतानराम
4. सुखाराम

पुत्रगण केशूराम

5. पाबूराम
6. जस्साराम

पुत्रगण चन्दाराम

7. मोहनी पुत्री चान्दाराम
8. भंवर लाल
9. कुनाराम
10. विशालाराम
11. हजारीराम
12. शिवलाल
13. श्यामलाल
14. छोटूराम

पुत्रगण भीयाराम

15. पतासी बेवा भीयाराम
16. भोमाराम पुत्र मगनाराम
17. ज्याणी देवी पत्नी मंगनाराम
18. किसनाराम
19. श्यामलाल

पुत्रगण रामूराम

20. प्रकाशराम पुत्र मदनलाल
21. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11—04—2014
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 01
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11–04–2014 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से विभाजन की निर्णय व डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही सारूण्डा जो खसरा नंबर 382 तादादी 71 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 1388 तादादी 2013 हैक्टेयर खसरा नंबर 1389 तादादी 2.06 हैक्टेयर खसरा नंबर 1390 तादादी 3. 80 हैक्टेयर खसरा नंबर 1391 तादादी 10.19 हैक्टेयर कुल तादादी 18. 19 हैक्टेयर स्थित है। अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भेराराम व रामूराम पुत्र नवलाराम द्वारा खता विभाजन व चिर निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया लेकिन उस दिन वादी संख्या 2 रामूराम जीवित नहीं था। मृतक वादी संख्या 02 रामूराम के जायज वारिसान में रेस्पोडेन्ट संख्या 18, 19 व 20 अदालत मातहत में पहले से ही पक्षकार रहे थे लेकिन उनके वारिसान में पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांट व रेस्पोडेंन्ट के मध्य पूर्व में एक पारिवारीक आपसी समझौता हो चुका था अदालत मातहत ने उस समझौते को दरकिनार करते हुए विभाजन डिक्री किया है। अदालत मातहत द्वारा डिक्री तैयार करते समय पक्षकार का हिस्सा तैय किया जाकर तहसील से प्रस्ताव मंगवाये जाते है जबकि प्रदत डिक्री में कब्जे के आधार पर प्रस्ताव मंगवाये गये है। अदातल मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जैर अपील आदेश डिक्र पारित किये गये है, अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा जारी जैर अपील आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद बिन्दू पर अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23–06–2014 को हुई जब रेस्पोडेंट संख्या 1 अपीलांट की भूमि पर आया तथा कहा कि इस साल भूमि काश्त नहीं करना क्योकि यह भूमि कोर्ट ने बंटवारे में मुझे प्रदान कर दी है तथा जल्दी ही अन्तिम डिक्री होन वाली है, अपीलांट तुरन्त वकील साहब से मिला तो पता चला की आदेश पूर्व में हो चुका है गलती से इसकी जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई तो अपीलांट ने तुरन्त प्रमाणित नकल निकलवा कर रूपये पैसों की व्यवस्था कर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेट्स द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि वाके रोही सारूण्डा जो खसरा नंबर 382 तादादी 71 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 1388 तादादी 2013 हैक्टेयर खसरा नंबर 1389 तादादी 2.06 हैक्टेयर खसरा नंबर 1390 तादादी 3.80 हैक्टेयर खसरा नंबर 1391 तादादी 10.19 हैक्टेयर कुल तादादी 18.19 हैक्टेयर भूमि बाबत् दावे के साथ सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता अदालत के समक्ष उपस्थित आने पर सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त/हक व हिस्से की भूमि के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है व संबंधित तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अपीलांट्स को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने हेतु नोटिस जारी किये गये थे एवं उनके अधिवक्ता के उपस्थित आने पर ही अदालत मातहत द्वारा समस्त कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाट का न्यायालय के समक्ष यह कथन किया जाना कि वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये व अदालत मातहत द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशों की पालना में स्वयं तहसीलदार द्वारा विभाजन के प्रस्ताव सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार करवाके भिजवाये गये है एवं विभाजन प्रस्तावों पर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी अंकित है। विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही सभी पक्षों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि आराजी जैर का विभाजन करते समय अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति की जॉच नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा किस स्थान पर है तथा अदालत मातहत द्वारा किस प्रकार उनके कब्जे के विपरीत जाकर प्रस्ताव तैयार किये गये है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट्स किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलांट्स के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अदालत मातहत द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की पालन पूर्ण हो चुकी है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उक्त विभाजन का अंकन हो चुका है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्व स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियाद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 23–06–2014 को अपीलांट की भूमि पर आया तथा कहा कि इस साल भूमि काश्त नहीं करना क्योकि यह भूमि कोर्ट ने बंटवारे में मुझे प्रदान कर दी है तथा जल्द ही अंतिम डिक्री जारी होने वाली है तो दिनांक 23–06–2014 को उसे जैर अपील निर्णय के बारे जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में न्यायालय हाजा का अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 11–04–2014 के विरूद्व अपीलें दिनांक 15–07–2014 को प्रस्तुत की गई है चूंकी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के 60 दिवस के भीतर अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है उक्त अपील मियाद समय 34 दिन के अन्तराल में पेश की गई है जो मियाद बाहर तो है लेकिन विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (4) 1997 पेज 182 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **"Limitation will start from the date of knowledge. The limitation will start not from the date of order but from the date of knowledge of the order."**लिहाजा न्यायिक दृष्टांत एवं प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपील में अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य अधार निम्नांकित लिए गये है जिन पर न्यायालय हाजा निर्णय करना उचित समझते है।

01. अपीलांट का प्रथम आधार यह है कि वाद दायर करने की दिनांक को वादी संख्या 2 रामूराम जीवित नहीं था यानि वाद दायर के दिन ही वादी संख्या 2 मृत था अतः दावा कानूनन पोषनीय नहीं हैं उक्त कथन पर न्यायालय हाजा का मत है कि अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और अभिभाषक अपीलांट के कथन पर विश्वास कर भी लिया जाये तो वादी संख्या 2 की मौत के उपरांत भी वादी संख्या 1 तो जीवित ही था। अतः 1 से अधिक वादी/अपीलांट होने पर किसी एक की मृत्यु पर वाद/अपील को कानूनन सही ही समझा जाता है और गुणावगुण पर ही निस्तारण किया जाता है। अतः उक्त बिन्दू के आधार पर अपील खारिज योग्य है।

02. अपीलांट का द्वितीय आधार यह है कि कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट के द्वारा पूर्व में एक आपसी सहमति से बंटवारे की लिखित रूबरू गवाहन तैयार किया गया उक्त समझौते के आधार पर ही अदालत मातहत को निर्णय करना चाहिए था उक्त कथन पर न्यायालय हाजा में अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त समझौते की एक फोटो प्रति पेश कि गई है जो प्रमाणित नहीं है उक्त दस्तावेज साक्ष्य दस्तावेजों में ग्राह्य नहीं है, इस आधार पर कोई उपधारणा नही की जा सकती, अतः उक्त बिन्दू के आधार पर अपील खारिज योग्य है।

03. अपीलांट का तीसरा आधार यह है कि प्रदत प्राथमिक डिक्री में कोई पक्षकारों का कोई हिस्सा तय नही करके कब्जा अनुसार प्रस्ताव मंगवाये गये है जो विधि विरूद्ध है उक्त कथन में न्यायालय हाजा ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्तावों का अवलोकन किया गया, उक्त प्रस्ताव मौके पर स्वयं तहसीलदार द्वारा उपस्थित आते हुए तैयार किये गये है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शें के अवलोकन से यह साबित होता है कि द्वारा आदेश जैर अपील में विभाजन के सभी आज्ञापक प्रावधानों की पालना/रास्ते के प्रावधानों को शामिल करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त बिन्दू के आधार पर अपील खारिज योग्य है।

04. अभिभाषक अपीलांट का चौथा आधार यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जो दावा अदालत मातहत में प्रस्तुत किया उसमें अपीलांटान को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिये बगैर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित कर दि गई इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की और से दिनांक 06–03–2019 को अधिवक्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर वकालतनाम पेश किया है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह भी जानकारी में आया की अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को जवाब दावा प्रस्तुत करने के उचित अवसर दिये गये थे लेकिन लगभग चार वर्ष बाद भी जवाब दावा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी 1 ता 5 का जवाब बन्द किया गया। ऐसी स्थिति में विभाजन के वाद में साक्ष्य व सबूत की आवश्यकता नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत भूमि के विभाजन बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। अतः उक्त बिन्दू के आधार पर अपील खारिज योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

उक्त 04 बिन्दूओं के आधार पर न्यायालय हाजा के विवेचन के प्रकाश में अपील अपीलांट खारिज योग्य है। प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम डिक्री जारी होना शेष है, ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट् अधीनस्थ न्यायालय को आराजी जैर के विभाजन के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है भी तो वह

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी जैर की अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को इस संबंध में निर्देश दिये जाने उचित पाते है कि यदि अपीलांट् द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री से पूर्व प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो सर्वप्रथम अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11–04–2024 यथावत बहाल रखा जाता है।

09. निर्णय आज दिनांक 6-10-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर